भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 888

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

होम्योपैथी में एमडी का समावेशन

888. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्वविद्यालयों के लिए सीसीएच अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा सीसीएच/एनसीएच मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सीसीएच/एनसीएच अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित एमडी, होम्योपैथी को मान्यता प्रदान नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा एमडी, होम्योपैथी को विशेष उपबंधों के अंतर्गत मान्यता न दिए जाने के केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्णय के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने इस संबंध में केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अवैध निर्णय की जांच की है और यदि हां, तो सीसीएच अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार का विचार केरल में सीसीएच/एनसीएच मानकों को कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी योग्यताओं को मान्यता) विनियम, 2023 के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जा रहे होम्योपैथी में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है।

(ग): केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली एमडी, होम्योपैथी की डिग्री, पूर्ववर्ती केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) अधिनियम, 1973 और एनसीएच अधिनियम, 2020 की दूसरी अनुसूची में मान्यता प्राप्त है और उसमें शामिल है।

(घ) और (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

(च): पूर्ववर्ती सीसीएच अधिनियम, 1973 और एनसीएच अधिनियम, 2020 के प्रावधान केरल सहित पूरे भारत में सभी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से लागू हैं।

*****